रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2003/फाल्गुन 12, 1924
No. 97] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2003/PHALGUNA 12, 1924

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 181(अ).—केन्द्र सरकार, साइबर विनियामक सलाहकार समिति के परामर्श से, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67 तथा 88 के उपबंधों का प्रयोग करते हुए वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया विहित करती है :

1. कम्प्युटर आपदा प्रतिक्रिया दल.—भारत (सीईआरटी-आईएनडी) वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का एकल प्राधिकारी होगा। सीईआरटी-आईएनडी शिकायत की प्रमाणिकता का सत्यापन करने और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि वेबसाइटों को अवरुद्ध करना आत्यंतिक रूप से अपरिहार्य है, दूर संचार विभाग (डीओटी)-एलआर (प्रकोष्ठ) को वेबसाइट अवरुद्ध करने का निर्देश देगा। दूर संचार विभाग जिसके नियंत्रणाधीन इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता (आईएसपी) कार्य कर रहे हैं, वे वेबसाइटों की अवरुद्धता का सुनिश्चय करेंगे और सीईआरटी-आईएनडी को तद्नुसार सूचित करेंगे।

2. सीईआरटी से निम्नलिखित द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है :

(i) सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद् (एनएससीएस)

(ii) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

(iii) विदेश कार्य विभाग के विदेश सचिव अथवा संयुक्त सचिव के व्यक्ति से अनिम्न पंक्ति का प्रतिनिधि।

(iv) प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के गृह मामलों के विभागों के सचिव।

(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आसूचना ब्यूरो (आईबी), सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और अन्य ऐसी अन्य प्रवर्तन एजेंसियां।

(vi) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सभी सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के सचिव अथवा प्रमुख जो केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे न हों।

(vii) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अथवा अल्प संख्यक आयोग अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति आयोग अथवा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष।

(viii) न्यायालयों के निदेश।

(ix) अन्य व्यक्ति जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

3. सीईआरटी-आईएनडी, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित है।

[सं. 7(1)/2003-ईसी]

एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

ORDER

New Delhi, the 27th February, 2003

G.S.R. 181(E).—In exercise of the provisions of Section 67 and Section 88 of the Information Technology Act, 2000 1 of 2000), the Central Government, after consultation with the Cyber Regulations Advisory Committee, hereby prescribes e following procedure for blocking of websites :—

1. **Computer Emergency Response Team**—India (CERT-IND) shall be the single authority for issue of instructions the context of blocking of websites. CERT-IND, after verifying the authenticity of the complaint and after satisfying at action of blocking of the website is absolutely essential, shall instruct Department of Telecommunications (DOT)—R Cell) to block the website. DOT, under whose control the Internet Service Providers (ISPs) are functioning will ensure e blocking of websites and inform CERT-IND accordingly.

2. CERT could be approached by the :

(i) Secretary, National Security Council Secretariat (NSCS).

(ii) Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India.

(iii) Foreign Secretary in the Department of External Affairs or a representative not below the rank of Joint Secretary.

(iv) Secretaries, Departments of Home Affairs of each of the States and of the Union Territories.

(v) Central Bureau of Investigation (CBI), Intelligence Bureau (IB), Director General of Police of all the States and such other enforcement agencies.

(vi) Secretaries or Heads of all the Information Technology Departments of all the States and Union Territories not below the rank of Joint Secretary of Central Government.

(vii) Chairman of the National Human Rights Commission or Minorities Commission or Scheduled Castes or Scheduled Tribes Commission or National Women Commission.

(viii) The directives of the Courts.

(ix) Any others as may be specified by the Government.

3. The CERT-IND is located at Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

[F. No. 7(1)/2003-EC]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2003/आषाढ़ 18, 1925
No. 309] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 2003/ASADHA 18, 1925

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2003

विषय : वेबसाइटों को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया

सा.का.नि. 529 (अ).—भारत के राजपत्र, (असाधारण) के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 27 फरवरी, 2003 के सं. सा.का.नि. 181(अ) के जरिए प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के संदर्भ में अनुदेश जारी करने के एकमात्र प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सर्ट-इन द्वारा दूरसंचार विभाग को वेबसाइटें अवरुद्ध करने के अनुदेश जारी किए जाएंगे :

(i) शिकायत की प्रामाणिकता की जाँच
(ii) इस बात की संतुष्टि कि वेबसाइट को अवरुद्ध किया जाना नितान्त अनिवार्य है

II. सार्वजनिक तथा प्रशासनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा विविध कारणों से वेबसाइटों को अवरुद्ध किए जाने की आवश्यकता हो सकती है । वेबसाइटों को अवरुद्ध किए जाने के संबंध में विशिष्ट प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 में किए गए हैं जो वेबसाइटों में अश्लील सामग्रियों के संबंध में है । इसके अतिरिक्त, धारा 69 में प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक को केवल निम्नलिखित पाँच प्रायोजनों से किसी भी कम्प्यूटर स्रोत के जरिए संप्रेषित सूचना को अवरुद्ध करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं:

(i) भारत की प्रभुसत्ता अथवा सत्यनिष्ठा का हित

(ii) देश की सुरक्षा
(iii) विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
(iv) सार्वजनिक व्यवस्था
(v) किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए उत्तेजित करने से रोकना ।

III. जैसा कि पहले ही बताया गया है, वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है । वस्तुतः इस प्रकार के अवरुद्धीकरण को नियंत्रण अथवा सेंसरशिप के रूप में देखा जाता है । यदि इससे वाक् अथवा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगता है तो ऐसे अवरुद्धीकरण को चुनौती दी जा सकती है । लेकिन, जिन वेबसाइटों द्वारा बाल अश्लीलता सहित अश्लीलता और हिंसात्मक सेक्स को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, द्वेष-भाव की सामग्रियों, मिथ्यापवाद अथवा दूसरों की मानहानि को बढ़ावा दिया जाता है, जुआ, जातिभेद, हिंसा तथा आंतकवाद एवं अन्य ऐसी सामग्रियों को बढ़ावा दिया जाता है, उन वेबसाइटों को आसानी से अवरुद्ध किया जा सकता है क्योंकि वे वाक् स्वातंत्र्य के संवैधानिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं । ऐसी वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के मामलों को "सूचना का संतुलित प्रवाह" कहा जा सकता है न कि सेंसरशिप ।

IV. ऊपर उल्लिखित किस्म की सामग्रियों, जो वाक स्वातंत्र्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों को "विभिन्न विधानों के विविध प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा नियंत्रक पर न्यस्त वैधानिक शक्तियों सहित कार्यकारी प्राधिकार की सीमा तक" केन्द्र सरकार की स्वाभाविक शक्तियों के अंतर्गत अवरुद्ध किया जाना आवश्यक हो सकता है ।

V. निदेशक, सर्ट-इन को वेबसाइटें को अवरुद्ध किए जाने की शिकायतें दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दिए अनुसार होगी :

1. राजपत्र की अधिसूचना के पैरा 2 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारी निदेशक, सर्ट-इन को शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं :

(i) सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस)
(ii) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
(iii) विदेश कार्य विभाग में विदेश सचिव अथवा उनका प्रतिनिधि जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो ।
(iv) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के गृह मंत्रालय के सचिव
(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरा (सीबीआई), आसूचना ब्यूरो (आईबी), सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य ऐसे प्रवर्तन अभिकरण ।
(vi) सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सभी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अथवा प्रमुख जिनका स्तर केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव से कम न हो ।
(vii) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा अल्पसंख्यक आयोग अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति आयोग अथवा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ।
(viii) न्यायालय के निर्देश ।
(ix) सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य ।

2. शिकायत में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) शिकायतकर्त्ता का नाम तथा पता, टेलीफोन नं., फैक्स नं. तथा ई-मेल

(ii) उल्लंघनकारी वेबसाइट का पता

(iii) जो संगठन वेबसाइट को बढ़ावा दे रहा हो/उपलब्ध करा रहा हो उसका नाम तथा पता, यदि ज्ञात हो ।

(iv) वेबसाइट को अवरुद्ध करने के अनुरोध के विशिष्ट कारण । यह निम्नलिखित में से कोई भी कारण हो सकता है :

बाल अश्लीलता सहित अश्लीलता और हिंसात्मक सेक्स को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, द्वेष-भाव की सामग्रियाँ, मिथ्यापवाद अथवा दूसरों की मानहानि को बढ़ावा देने वाली सामग्रियाँ, जुआ, जातिभेद, हिंसा तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली एवं अन्य ऐसी सामग्रियाँ ।

(v) कोई अन्य कारण जिसे शिकायतकर्ता द्वारा स्पष्ट किया जाएगा ।

(vi) उल्लंघकारी वेबसाइट द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाली जनता अथवा दर्शक का खण्ड।

3. शिकायत ऊपर उल्लिखित संगठनों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके पत्र शीर्ष पर लिखित रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे । इसे डाक द्वारा अथवा फैक्स द्वारा अथवा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है ।

4. प्रत्येक शिकायत के लिए एक शिकायत संख्या दी जाएगी और उसे एक रजिस्टर में उसकी प्राप्ति के समय एवं तिथि सहित दर्ज किया जाएगा ।

5. सर्ट-इन के कर्मचारी इस बात की जाँच करेंगे कि शिकायत ऊपर उल्लिखित संगठनों में से किसी संगठन से प्राप्त हुई है । आवश्यक होने पर इसकी जाँच संबंधित कार्यालय से टेलीफोन के माध्यम से की जाएगी ।

6. प्रत्येक शिकायत की प्राप्ति की अभिस्वीकृति शिकायतककर्ता को 24 घण्टे के अन्दर दी जाएगी ।।

7. यदि कोई शिकायत फैक्स अथवा ई-मेल द्वारा प्राप्त होती है, जो अंकीय रूप से हस्ताक्षरित नहीं है, तो शिकायतकर्ता को शिकायत की एक स्याही से हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध करानी होगी जो फैक्स अथवा ई-मेल से प्राप्त शिकायत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर सर्ट-इन में पहुँच जानी चाहिए । स्याही से हस्ताक्षरित प्रति की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना ही शिकायत पर कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी ।

8. निदेशक, सर्ट-इन शिकायत को एक तकनीकी विशेषज्ञ के पास भेजेगा जो उस वेबसाइट को देखेगा तथा उल्लंघनकारी सामग्री की मुद्रित प्रति एक नमूने के रूप में शिकायत की प्राप्ति के एक दिन के अन्दर लेगा ।

9. शिकायत तथा वेबसाइट की मुद्रित नमूना सामग्री की जॉच निदेशक, सर्ट-इन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा विधि मंत्रालय/गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं । समिति की बैठक शिकायत तथा निदेशक, सर्ट-इन द्वारा समिति के सदस्यों को सूचना उपलब्ध कराए जाने के एक दिन के अंदर आयोजित की जाएगी । यह बैठक में तत्काल निर्णय लेगी कि वेबसाइट को अवरुद्ध किया जाना है अथवा नहीं ।

10. समिति द्वारा वेबसाइट को अवरुद्ध किए जाने के निर्णय तथा शिकायत और उसके विवरण निदेशक, सर्ट-इन द्वारा अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अनुमोदन प्राप्त होने पर निदेशक, सर्ट-इन को वेबसाइट को अवरुद्ध करने के लिए दूरसंचार विभाग को अनुदेश जारी करेगा ।

12. समूची कार्रवाई शिकायत के प्राप्त होने के सात कार्यदिवसों के अंदर पूरी कर ली जाएगी ।

13. किसी आपातकालीन परिस्थिति में, जिसका निर्णय निदेशक, सर्ट-इन द्वारा अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ परामर्श करके लिया जाएगा, वेबसाइट को अवरुद्ध करने के अनुदेश निदेशक, सर्ट-इन द्वारा दूरसंचार विभाग को तत्काल जारी किए जाएंगे ।

14. सभी शिकायतों तथा उनकी कार्रवाई के मामले में निदेशक, सर्ट-इन द्वारा पूर्ण गोपनीयता अपनायी जाएगी ।

15. निदेशक, सर्ट-इन द्वारा वेबसाइटों को अवरुद्ध करने से संबंधित कार्रवाई के मामलों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के रूप में तथा कागजी फाइल/रजिस्टर में पूरा रिकार्ड रखा जाएगा । यह डेटाबेस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सम्पत्ति होगी और इसका प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों से नहीं किया जाएगा ।

16. निदेशक, सर्ट-इन द्वारा प्रत्येक महीने में वेबसाइटों को अवरुद्ध करने से संबंधित की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट अगले महीने की 7 तारीख तक (यदि 7 तारीख छुट्टी का दिन है तो अगला कार्य दिवस) अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत की जाएगी ।

17. निदेशक, सर्ट-इन द्वारा सर्ट-इन में वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के मामलों का रिकार्ड ऑडिट के प्रयोजन से सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा । यह निरीक्षण/ऑडिट तिमाही आधार पर की जा सकती है ।

18. आपत्तिजनक सामग्रियों की वेबसाइटों को अवरुद्ध करने से संबंधित सेवाएँ सर्ट-इन द्वारा जन हित में उपलब्ध कराई जाएंगी और इसलिए ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा'।

[सं. 7(1)/2003-ई सी]

एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2003

Subject : Procedure for Blocking of Websites

G.S.R. 529(E).—As per the Gazette Notification (Extraordinary) No. G.S.R. 181(E) dated 27th February, 2003, published in Part-II, Section-3, Sub-section (i), Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) has been designated as the single authority for issuing of instructions in the context of blocking of websites. CERT-In has to instruct the Department of Telecommunications to block the website after,

(i) verifying the authenticity of the complaint
(ii) satisfying that action of blocking of website is absolutely essential

II. The blocking of website may be the need of several agencies engaged in different walks of public and administrative lives due to a variety of reasons. Explicit provision for blocking of the website in the IT Act 2000 is available only in Section 67, relating to pornographic content on the website. In addition, Section 69 empowers the Controller of Certifying Authorities to intercept any information transmitted through any computer resource in relation only to the following five purposes:

(i) Interest of the sovereignty or integrity of India
(ii) The security of the State
(iii) Friendly relations with foreign States, or
(iv) Public order, or
(v) For preventing incitement to the commission of any cognizable offence.

III. As already noted there is no explicit provision in the IT Act 2000 for blocking of websites. In fact, blocking is taken to amount to censorship. Such blocking can be challenged if it amounts to restriction of freedom of speech and expression. But websites promoting hate content, slander or defamation of others, promoting gambling, promoting racism, violence and terrorism and other such material, in addition to promoting pornography, including child pornography, and violent sex can reasonably be blocked since all such websites may not claim constitutional right of free speech. Blocking of such websites may be equated to "balanced flow of information" and not censorship.

IV. The websites promoting the above mentioned types of content, not covered under the Freedom of Speech may need to be blocked under the inherent powers of the Government, "to the extent of executive authority read with legal powers vested in Central Government and Controller under various provision of various laws".

V. The detailed procedure for submitting a complaint to the Director, CERT-In for blocking of a website shall be as follows:

1. The following officers listed in Para 2 of the Gazette Notification can submit the complaint to the Director, CERT-In:

(i) Secretary , National Security Council Secretariat (NSCS)
(ii) Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India
(iii) Foreign Secretary in the Department of External Affairs or a representative not below the rank of Joint Secretary
(iv) Secretaries, Department of Home Affairs of each of the States and of the Union Territories
(v) Central Bureau of Investigation (CBI), Intelligence Bureau (IB), Director General of Police of all the States and such other enforcement agencies
(vi) Secretaries or Heads of all the Information Technology Department of all the States and Union Territories not below the rank of Joint Secretary of Central Government
(vii) Chairman of the National Human Rights Commission or Minorities Commission or Scheduled Castes or Scheduled Tribes Commission or National Women Commission

(viii) The directive of the Courts
(ix) Any others as may be specified by the Government

2. The complaint shall contain the following:

(i) Name of the complainant with address, telephone number, fax number, and email.
(ii) The address of the offending website.
(iii) The name of the organization with address, if known, which is promoting/hosting the website.
(iv) Specific reasons for requesting blocking of website. This may be from any of the following :
Promoting hate content, slander or defamation of others, promoting gambling, promoting racism, violence and terrorism and other such material, promoting pornography, including child pornography and violent sex.
(v) Any other reasons may be specified by the complainant.
(vi) Segment of population or the audience that is adversely affected by the offending website.

3. The complaint may be submitted in writing by an authorized officer of the above named organization on the letter head. This can be sent either by mail or by fax or by email digitally signed.

4. Each complaint shall be assigned a complaint number and recorded in a register alongwith the time and date of the receipt.

5. CERT-In staff shall verify that the complainant belongs to one of the organizations that have been listed above. If needed, this will be verified telephonically from the concerned office.

6. Each complaint shall be acknowledged to the complainant within 24 hours of its receipt.

7. In the case of complaints received by fax and email which is not digitally signed, the complainant shall be required to provide an ink-signed copy of the complaint so as to reach CERT-In within 3 days of the receipt of the complaint by fax or e-mail. The processing of the complaint shall begin without waiting for the receipt of the ink-signed copy.

8. Director, CERT-In will assign the complaint to a technical expert to view the said website and print the offending content as a sample within a day of the receipt of the complaint.

9. The complaint alongwith the printed sample content of the website shall be examined by a duly constituted committee under the chairmanship of Director, CERT-In

with representatives of DIT and Law Ministry/Home Ministry. The committee will meet within a day of the complaint and the content being notified by Director, CERT-In to the members of the Committee. It will meet and take on the spot decision on whether the website is to be blocked or not.

10. The decision on blocking of the website by the Committee alongwith the complaint and details thereof shall be submitted by Director, CERT-In to the Additional Secretary, DIT for the approval of the Secretary, DIT.

11. On receipt of the approval from DIT, Director, CERT-In will issue instructions to DOT for blocking of website.

12. The entire exercise shall be completed within seven working days of the receipt of a complaint.

13. In case of an emergency situation, to be decided by Director, CERT-In in consultation with the Additional Secretary, DIT, instructions for blocking of website will be immediately issued by Director, CERT-In to DOT.

14. Strict confidentiality shall be maintained by CERT-In regarding all the complaints as also their processing.

15. The Director, CERT-In shall maintain complete record, in electronic database as also in paper files/registers, of the cases of blocking of website processed. This database shall be the property of the DIT and shall not be used for any commercial purpose.

16. The Director, CERT-In shall submit a monthly report of the cases of blocking of the website processed in each month, by 7th of the next month, (or the next working day if 7th happens to be a holiday) to the Additional Secretary, DIT.

17. The Director CERT-In shall arrange to make available, the record of the cases of blocking of the website processed by CERT-In, as and when required for audit by an officer designated by Secretary, DIT for this purpose. This inspection/audit may be undertaken on a quarterly basis.

18. The service for blocking of the website containing offending material is to be provided by CERT-In in public interest and hence no fees shall be charged for providing this service.

[No. 7(1)/2003-EC]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.